फर्द अहकाम

दालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम-गंगापुर सिटी

........परसादी........................फागल वगैरा बनाम ....

मुकदमा .... नं. ...30/25...... सन ....

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07.04.2025 यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी परसादी पुत्र मनफूल्या, बैरवा निवासी ग्राम किराडी तह0 सपोटरा जिला करौली की ओर से श्री भानू सिंहल, एडवोकेट ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।

प्रार्थी के वकील ने प्रस्तुत मामले में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। इस बिन्दू पर प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0न0 138/58 रकबा 1.25 है0 मे से 0.25 है0 ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। तलबी अप्रार्थीगण जरिए रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 21.04.2025 को पेश हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

21.4.25 प्रार्थी व वकील प्रार्थी कोई उपस्थित नहीं कई बार आवाज लगवाई गयी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] पैरवी के अभाव में खारिज किया [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:19:53 IST
Reason: SelfAttested